श्री वी.जे. थॉमस

बनाम

श्री पैथ्रोस अब्राहम और अन्य

(सिविल अपील संख्या 989/2008)

5 फ़रवरी 2008

(एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश 1 नियम 8 और 10:

डिक्री का निष्पादन – प्रतिवादियों को जोडना /प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 - निष्पादन न्यायालय द्वारा अनुमत- शुद्धता - निर्ण्णीत: डिक्री जो तथ्य को छिपाकर या मिलीभगत से प्राप्त की गई है, उन लोगों के खिलाफ निष्पादन योग्य नहीं होगी जो मुकदमे के पक्षकार नहीं थे। - निष्पादन न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और ३ को पक्षकार बनाने के आवेदन को अनुमत किया जिससे वे विलंब क्षमा होने पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करवाने के आवेदन पर प्रभावी कार्यवाही कर सके- इन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद १३६ के तहत अपने विवेकाधिकार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाया- भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136 - विवेकाधीन क्षेत्राधिकार - का प्रयोग ।

अपीलार्थी ने अपने स्वामित्व की घोषणा, वाद सम्पत्ति का कब्जा एवं प्रत्यर्थी संख्या 03 से 05 को वाद सम्पत्ति में प्रवेश करके या इसे एक सार्वजनिक मार्ग के रूप में उपयोग करके संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक वाद दायरा किया था। आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया सहिंता के अनुसार

समाचार पत्र मे भी प्रकाशन किया गया था। चूकि प्रत्यर्थी संख्या 03 से 05 वाद मे उपस्थित नही हुए, इसलिए विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री पारित की। अपीलार्थी ने डिक्री के निष्पादन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 ने विलंब को क्षमा करते हुए, मुकदमा लडने के हेतु, मूल वाद मे पक्षकार बनाने के लिए, एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। निष्पादन न्यायालय द्वारा मुकदमा लडने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 को पक्षकार बनाने का अंतिरम प्रार्थना पत्र अनुमत किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया। परिणामतः वर्तमान अपील पेश की गयी।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि एक मुकदमा, जिसमें सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 01 नियम 08 के तहत नोटिस जारी किये गये थे, उसे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 02 के कहने मात्र से बिना विलंब क्षमा करने एवं एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के प्रार्थना पत्र को अनुमत किए, फिर से नही खोला जा सकता था।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने निर्णीत कियाः

1.1 आदेश 1 नियम 8 के अनुसार दायर किया गया मुकदमा आम तौर पर इस आधार पर होना चाहिए कि प्रतिवादी मुकदमे में रुचि रखने वाले पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे मुकदमे में प्रतिवादी को सामान्य रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्तिगत नहीं उनके खिलाफ डिक्री पारित की जा सकती है. मूल प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति में कम से कम उसके हिस्से के संबंध में किस हद तक रुचि रखते थे, यह ज्ञात नहीं है। [पैरा13] [383.डी, ई]

1.2 एक वादी उस डिक्री को निष्पादित कर सकता है जो इलाके के लोगों के लाभ के लिए प्राप्त की गई थी, लेकिन यदि वह उस डिक्री को निष्पादित करने का

इरादा रखता है जो उसके स्वयं के लाभ के लिए प्राप्त की गई थी, तो जो लोग इससे प्रभावित होंगे, उन्हें आम तौर पर मुकदमे में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसी तरह, यदि कोई गांव का रास्ता इस आधार पर मुकदमे का विषय है कि यह वादी की निजी संपत्ति है, तो जो लोग उक्त रास्ते का उपयोग करते हैं या कम से कम जिनके पास उससे सटी जमीन है, उन्हें आम तौर पर पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। बाद के मामले में, वर्तमान मामले की तरह, कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, हमारी राय है कि एक डिक्री जो तथ्य को छिपाकर या मिलीभगत से प्राप्त की गई है, उन लोगों के खिलाफ निष्पादन योग्य नहीं होगी जो मुकदमे के पक्षकार नहीं थे। [पैरा14] [383-एफ, जी, 384-ए]

1.3 इस न्यायालय को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (प्रतिवादी संख्या 3 से 5) द्वारा वाद भूमि में किस प्रकार के हित का दावा किया गया था। किसी भी घटना में, क्या नोटिस की तामील उचित थी, यह भी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच का विषय होगा।यह भी देखना होगा कि क्या संहिता के आदेश । नियम 10 के संदर्भ में नोटिस इलाके में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। [पैरा16] [384-ई,एफ,जी]

अध्यक्ष, तमिलनाडु आवासीय बोर्ड, मद्रास बनाम टी.एन. गणपति, (1990) 1 एससीसी 608

2. यदि उक्त प्रश्न की जांच के प्रयोजन के लिए, अन्य बातों के अलावा, निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 और 3 को प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के रूप में आरोपित करने के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है, ताकि वे अपना दबाव बनाने में सक्षम हो सकें। देरी की माफ़ी पर एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन;हमें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। [पैरा18] [385-जी 386-ए]

भारत संघ व अन्य बनाम दीनानाथ संताराम कारेकर व अन्य (1998) 4 स्केल 659 एवं उत्तर भारत का चर्च बनाम लवाजीभाई रतनजी भाई व अन्य (2005) 10 एससीसी 760 संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 989/2008

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा सीआरपी संख्या 272/2004 में पारित अतिम निर्णय/आदेश दिनांक 30.06.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से वी.जे. फ्रासिंस, पी.आई.जोस और अनुपम मिश्रा।

प्रत्यर्थियों की ओर से एम.टी. जॉर्ज।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा दिया गया-

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. कुछ महत्व का प्रश्न कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश । नियम 8 के तहत दायर मुकदमे में किसी तीसरे पक्ष को पक्षकार बनाया जा सकता है, इस अपील में शामिल है जो 30 जून, 2005 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुआ है। 2004 की सीआरपी संख्या 272 में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अतिरिक्त उप न्यायालय, कोट्टायम द्वारा पारित दिनांक 17.10.2003 के आदेश को चुनौती देने वाले अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया।

3. मामले के मूल तथ्य विवाद में नहीं है।

4. अपीलकर्ता ने अपने स्वामित्व की घोषणा और मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे के लिए अतिरिक्त उप न्यायालय, कोट्टायम की अदालत में 1997 का मूल मुकदमा संख्या 364 दायर किया। उसमें प्रतिवादियों को, जो संख्या में तीन थे (यहां प्रतिवादी संख्या 3 से 5) संपत्ति में प्रवेश करके या इसे एक सार्वजनिक मार्ग के रूप में उपयोग करके संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए प्रार्थना की गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश । नियम 10 के संदर्भ में एक समाचार पत्र में एक कथित प्रकाशन भी किया गया था।

5. प्रतिवादी संख्या 3 से 5 तक मुकदमे में उपस्थित नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप 26.3.1998 को एक पक्षीय डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उक्त निष्पादन मामले में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने पांच आवेदन दायर किए, जिनका विवरण इस प्रकार है:

आईए सं.965/2002- आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु।

आईए सं. 966/2002- विलंब माफी के लिए आईए सं.967/2002- निष्पादन में सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए आवेदन।

आईए सं.968/2002- मुकदमा लड़ने की अनुमति के लिए और खुद को अतिरिक्त प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में पार्टियों की श्रृंखला में जोड़ने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर आवेदन।

आईए सं. 969/2002- प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मुकदमा लड़ने की अनुमति के लिए और उसे अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 5 बनाने के लिए आवेदन दायर किया गया।

6. निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 5 और 7 के रूप में शामिल करने के लिए 2002 के आईए संख्या 968 और 2002 के 969 को अनुमति दी। इसके विरुद्ध दायर पुनरीक्षण आवेदन को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री वीजे फ्रांसिस ने प्रस्तुत किया कि एक मुकदमा, जिसमें सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 01 नियम 08 के तहत नोटिस जारी किये गये थे, उसे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 02 के कहने मात्र से बिना विलंब क्षमा करने एवं एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के प्रार्थना पत्र को अनुमत किए, फिर से नही खोला जा सकता था। यह आग्रह किया गया कि देरी को माफ करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन उसके पारित होने के चार साल से अधिक समय के बाद दायर किया गया था। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2, किसी भी स्थिति में, पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे और इस प्रकार, विवादित आदेश पोषणीय नहीं है।

8. हालाँकि, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एमटी जॉर्ज, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करेंगे।

9. 450 फीट x 4 फीट की माप वाली सूट भूमि मनारकाडु-थेंगना पीडब्ल्यूडी रोड के वट्टाचलपाडी जंक्शन से शुरू होती है और पूर्व में कुट्टियिलपाडीपेरम्पनाची पंचायत रोड पर समाप्त होती है। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 मुकदमे के पक्षकार नहीं थे। उन्होंने, अन्य बातों के अलावा, अपने आवेदन में यह तर्क दिया कि अपीलकर्ता और

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 पड़ोसी और करीबी सहयोगी हैं। यह मुकदमा षडयंत्रकारी था। गलत बयानी पर आदेश 1 नियम 8 के तहत न्यायालय की अनुमति प्राप्त की गई थी।

10. एक विशिष्ट तर्क यह भी उठाया गया था कि वादी-याचिकाकर्ता ने जानबूझकर और जानबूझकर उक्त मुकदमे में मार्ग के उपयोगकर्ताओं को शामिल नहीं किया था। यह कहा गया था कि आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत कथित नोटिस का प्रकाशन उन समाचार पत्रों के लिए किया गया था जिनका इलाके में व्यापक प्रसार नहीं था।

11. उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के अलावा, स्वामीनाथ मुदलियार बनाम कुमारस्वामी चेट्टियार और अन्य [(1923) 44 MLJ 282] में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए,प्रतिवादी के उक्त तर्क को स्वीकार कर लिया है:

> "डिक्री पारित होने के बाद नई वादी को रिकॉर्ड पर लाना असामान्य हो सकता है; लेकिन आदेश I नियम 10 के तहत ऐसा करने का अधिकार है आदेश 1 नियम 8 स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को, जिसकी ओर से एक प्रतिनिधि मुकदमा स्थापित किया गया है, रिकॉर्ड पर लाने के लिए न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति देता है, और इस नियम के शब्द सीमित नहीं हैं, क्योंकि वे आदेश 1 नियम 10 द्वारा हैं इसका उद्देश्य मुकदमे में उठने वाले प्रश्नों पर निर्णय के रूप में व्यक्त किया जा रहा है।"

12. वाद हमारे सामने नहीं है. आदेश 1 नियम 8 के तहत आवेदक द्वारा दायर किया गया कथित आवेदन भी हमारे सामने नहीं है। इस प्रकार, प्रतिवादी क्रमांक 3 से 5 को किस आधार पर और किस हैसियत से मुकदमे में पक्षकार बनाया गया, यह ज्ञात नहीं है।

13. आदेश 1 नियम 8 के अनुसार दायर किया गया मुकदमा आम तौर पर इस आधार पर होना चाहिए कि प्रतिवादी मुकदमे में रुचि रखने वाले पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे मुकदमे में प्रतिवादी को सामान्य रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्तिगत नहीं उनके खिलाफ डिक्री पारित की जा सकती है. मूल प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति में कम से कम उसके हिस्से के संबंध में किस हद तक रुचि रखते थे, यह ज्ञात नहीं है।

14. एक वादी उस डिक्री को निष्पादित कर सकता है जो इलाके के लोगों के लाभ के लिए प्राप्त की गई थी, लेकिन यदि वह उस डिक्री को निष्पादित करने का इरादा रखता है जो उसके स्वयं के लाभ के लिए प्राप्त की गई थी, तो जो लोग इससे प्रभावित होंगे, उन्हें आम तौर पर मुकदमे में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसी तरह, यदि कोई गांव का रास्ता इस आधार पर मुकदमे का विषय है कि यह वादी की निजी संपत्ति है, तो जो लोग उक्त रास्ते का उपयोग करते हैं या कम से कम जिनके पास उससे सटी जमीन है, उन्हें आम तौर पर पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। बाद के मामले में, वर्तमान मामले की तरह, कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, हमारी राय है कि एक डिक्री जो तथ्य को छिपाकर या मिलीभगत से प्राप्त की गई है, उन लोगों के खिलाफ निष्पादन योग्य नहीं होगी जो मुकदमे के पक्षकार नहीं थे।

15. श्री फ्रांसिस द्वारा चेयरमैन, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, मद्रास बनाम टीएन गणपति [(1990) 1 एससीसी 608] पर भरोसा रखा गया है, जिसमें विचार के लिए जो प्रश्न उठा था वह मुकदमे की स्थिरता के आसपास केंद्रित था। आवंटियों से किसी भी अतिरिक्त मूल्य की मांग करने और गणना करने से स्थायी निषेधाज्ञा के लिए हाउसिंग

बोर्ड के खिलाफ निम्न आय वर्ग की श्रेणी से संबंधित वादी को निम्नलिखित शब्दों में उत्तर दिया गया था:

> "वर्तमान मामले में प्रासंगिक परिस्थितियों पर आते हुए, यह देखा जाएगा कि अशोक नगर में सभी आवंटन एक ही योजना के तहत किए गए थे और सभी प्रासंगिक तथ्य सामान्य हैं। अपीलकर्ता की विवादित मांग का आधार सभी पर समान रूप से लागू होता है। आवंटन और वादी की याचिका उन सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश ।, नियम 8 के तहत आगे बढ़ने की अनुमति देकर बिल्कुल सही किया था। इस स्थिति में कोई भी शिकायत नहीं कर सकता है कोई असुविधा या अन्याय। दूसरी ओर, अपीलकर्ता को अनावश्यक बार-बार मुकदमेबाजी में शामिल होने से बचाया जा रहा है।"

16. जैसा कि यहां पहले बताया गया है, हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (प्रतिवादी संख्या 3 से 5) द्वारा वाद भूमि में किस प्रकार के हित का दावा किया गया था। किसी भी घटना में, क्या नोटिस की तामील उचित थी, यह भी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच का विषय होगा।यह भी देखना होगा कि क्या संहिता के आदेश । नियम 10 के संदर्भ में नोटिस इलाके में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

17. भारत संघ व अन्य बनाम वी. दीनानाथ शांताराम कारेकर व अन्य में [1998 (4) स्केल 659], इस न्यायालय ने कहा:

> "जहां तक कारण बताओ नोटिस की तामील का सवाल है, इसे भी तामील नहीं माना जा सकता। इस नोटिस की तामील प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप

से तामील कराने के लिए कोई पूर्व प्रयास किए बिना एक समाचार पत्र में प्रकाशित करके उसे प्रभावित करने की मांग की गई थी। कारण बताओ नोटिस या तो कार्यालय के चपरासी के माध्यम से या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करना। यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि जिस समाचार पत्र में कारण बताओ नोटिस प्रकाशित किया गया था वह एक लोकप्रिय समाचार पत्र था जिसे सामान्य रूप से जनता द्वारा पढ़े जाने की उम्मीद थी। यह उस क्षेत्र या इलाके में व्यापक प्रसार था जहां प्रतिवादी रहता था। इसलिए, इन परिस्थितियों में, कारण बताओ नोटिस को प्रतिवादी को तामील नहीं माना जा सकता है। किसी भी मामले में,चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत ही इस कारण से खराब थी कि आरोपपत्र तामील नहीं किया गया था, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित सभी बाद के चरण और चरण खराब होंगे।"

चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बनाम लवजीभाई रतनजीभाई एवं अन्य में [(2005) 10 एससीसी 760], यह पाया गया कि..

"71....एक सार्वजनिक ट्रस्ट की ओर से किसी अधिकार को लागू करने के लिए एक मुकदमे को रोकता है। सीएनआई ने खुद को वर्ष 1981 में एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत कराया था। जाहिर तौर पर एक मुकदमा दायर किया गया था वर्ष 1980 में वादी, क्योंकि सीएनआई तब मुकदमा दायर करने का हकदार नहीं था। यह सच हो सकता है कि मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 8 के तहत दायर किया गया था, लेकिन इसमें सवाल यह है कि क्या यहां अपीलकर्ता, एक पंजीकृत ट्रस्ट ब्रेथ्रेन चर्च की संपत्तियों का हकदार बन गया, इसमें शामिल नहीं किया

जा सकता था। जो निषिद्ध है वह सार्वजनिक ट्रस्ट की ओर से एक अधिकार लागू करना है। जब वादी ने अपीलकर्ता की ओर से एक अधिकार लागू करने का इरादा किया, तो मुकदमा दायर किया गया था जाहिर तौर पर रखरखाव योग्य नहीं है।"

18. यदि उक्त प्रश्न की जांच के प्रयोजन के लिए, अन्य बातों के अलावा, निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 और 3 को प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के रूप में आरोपित करने के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है, ताकि वे अपना दबाव बनाने में सक्षम हो सकें। देरी की माफ़ी पर एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन;हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

19. उपर्युक्त कारणों से, इस आवेदन में कोई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार लागत सहित खारिज कर दिया गया है। वकील की फीस 10,000/- रुपये (रुपए दस हजार मात्र) निर्धारित की गई।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रमन कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।